| क्र. सं. | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संबंधी अनुक्रमणिका | पृठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | **मैनुअल सं. 1**<br>संगठन का ब्यौरा, कार्य और डयूटियाँ | 01 |
| 2. | **मैनुअल सं. 2**<br>इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और डयूटियाँ | 2 |
| 3. | **मैनुअल सं. 3**<br>निर्णयन प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली कार्यविधियाँ तथा पर्यवेक्षण एव जवाबदेही के चैनल | 3 |
| 4. | **मैनुअल सं. 4**<br>कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड | 4-5 |
| 5. | **मैनुअल सं. 5**<br>कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल एवं अभिलेख | 6 |
| 6. | **मैनुअल सं. 6**<br>उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण, जो इसके द्वारा रखी गई हैं अथवा इसके नियंत्रणाधीन हैं | 7 |
| 7. | **मैनुअल सं. 7**<br>इसके नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में उस किसी व्यवस्था का ब्यौरा, जो जनता के द्वारा विचारार्थ या प्रतिनिधित्व के संबंध में विद्यमान हैं | 8 |
| 8. | **मैनुअल सं. 8**<br>गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण | 9-10 |
| 9. | **मैनुअल सं. 9**<br>इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | 11-12 |
| 10. | **मैनुअल सं. 10**<br>अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक तथा प्रतिपूर्ति की पद्धति | 13-14 |
| 11. | **मैनुअल सं. 11**<br>बजट, प्रत्येक एजेंसी को मंजूरियों के लिए आबंटन तथा निधियों का वितरण | 15-18 |
| 12. | **मैनुअल सं. 12**<br>आबंटित धनराशि सहित आर्थिक सहायता (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा | 19 |
| 13. | **मैनुअल सं. 13**<br>इसके द्वारा प्रदान की गई रियायतों, अनुमतियों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा | 20 |
| 14. | **मैनुअल सं. 14**<br>इसके द्वारा उपलब्ध या धारित इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित सूचना के संबंध में ब्यौरा | 21 |
| 15. | **मैनुअल सं. 15**<br>सार्वजनिक प्रयोग के लिए पुस्तकालय और वाचनालय के कार्य-समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा | 22 |
| 16. | **मैनुअल सं. 16**<br>एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, 5 वां तल, नई दिल्ली-66 स्थित एनएसएफडीसी मुख्यालय में अपीलीय प्राधिकारी तथा जन-सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य ब्यौरे | 23 |
| 17. | **मैनुअल सं. 17**<br>सूचना का अधिकार नियमावली,2005 (शुल्क व लागत का विनियम) | 24 |
| 18. | **मैनुअल सं. 18**<br>वर्ष 2007-08 के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत रिपोर्ट | 25 |

# मैनुअल संख्या 1

## संगठन के ब्योरे, कार्य और दायित्व

[ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) (i)]

---

### 1. संगठन

नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) की स्थापना अप्रैल 2001 में जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सराकार की एक कंपनी के रूप में की गई और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसे (एक लाभ मुक्त कंपनी) का लाइसेंस दिया गया। इसका प्रबंध एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के प्रतिनिधि और अनुसूचित जनजाति के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं।

### 2. मिशन, उद्देश्य और कार्य :

(क) मिशन : संपोषक आधार पर अनुसूचित जनजाति का आर्थिक विकास।

(ख)उद्देश्य : एनएसटीएफडीसी, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक, कार्यकलापों की पहचान करना, ताकि स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और उनकी आय के स्तर में वृद्धि हो सके।
- संस्थागत तथा कार्यरत प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से उनके कौशलों और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास संबंधी कार्यों में लगे विद्यमान राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगमों (एससीए) और अन्य विकासाशील एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने और एनएसटीएफडीसी की सहायता प्राप्त योजनाओं का कार्यान्वयन करने तथा अपने कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करना।
- एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना, ताकि उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

**(ग) कार्य :**

- एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता पैदा करना।
- लाभार्थियों और एससीए के कार्मिकों का कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।
- पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एससीए और अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए रियायती वित्त-व्यवस्था मुहैया करना।
- जनजातीय उपजों हेतु बाजार संपर्क के लिए सहायता करना।

### 3. दायित्व :

संगठन के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से प्राप्त करना।

## **मैनुअल संख्या 2**

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और दायित्व

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) (ii)]

---

(1) निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति है। तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नियम और विनियम बनाए जाते हैं तथा कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

(2) प्रकार्यात्मक प्रमुखों को कार्य आबंटित किया जाता है और वे सौंपे गए कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। निगम के चार आंचलिक कार्यालय हैं तथा निगम के आंचलिक अधिकारियों को मुख्य रूप से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की भूमिका सौंपी गई है। (मैनुअल संख्या 16)।

# मैनुअल संख्या 3

## निर्णय लेने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम

- [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) (iii)]

---

### (क) निर्णय लेने की प्रक्रिया :

(1) निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति है। तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नियम और विनियम बनाए जाते हैं तथा कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जाते हैं। निदेशक मंडल की शक्तियों का विवरण कंपनी के संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में दिया गया है। ये विवरण वेबसाइट : www.nstfdc.nic.in में उपलब्ध है।

(2) निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा मामलों पर कार्रवाई की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्रवाई की जाती है।

### (ख) पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम:

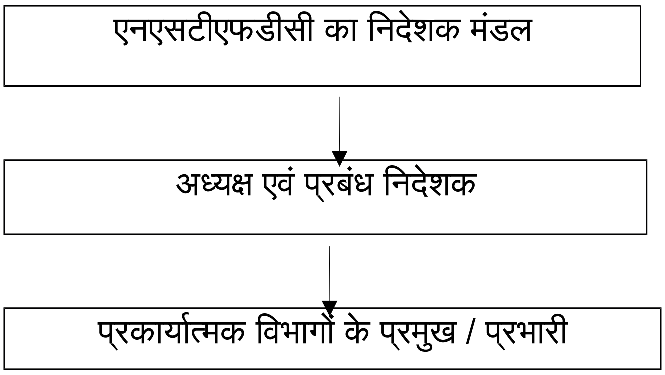
एनएसटीएफडीसी का निदेशक मंडल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
प्रकार्यात्मक विभागों के प्रमुख / प्रभारी

# मैनुअल संख्या 4

## कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) (iv)]

---

उधार देने के मानदंडों का विवरण हमारी वेबसाइट :www.nstfdc.nic.in में उपलब्ध है। तथापि सारांश नीचे दिया गया है :

### 1. पात्रता संबंधी मापदंड :

एनएसटीएफडीसी से आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी मापदंड इस प्रकार हैं :

**(क) अलग-अलग व्यक्ति / स्व- सहायता समूह :**

- लाभार्थी (लाभार्थियों) को अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए।
- आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आयु, गरीबी रेखा की आय सीमा से दुगनी (डीपीएल ) से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना आयोग के मानदंडों के आधार पर वर्तमान में यह सीमा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500/-रुपये प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500 रुपये प्रतिवर्ष है।

(ख) **सहकारी समितियां** : ऐसी समिति के 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए और आवेदकों की आय गरीबी रेखा की आय सीमा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सदस्यता में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की प्रतिशतता एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान 80 प्रतिशत से कम न हो।

### 2. योजनाएं :

यह निगम अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान के लिए आय पैदा करने वाले कार्यकलापों और विपणन समर्थन सहायता के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

**क. आय पैदा करने वाले कार्यकलापों से संबंधित योजनाएं :**

**मियादी ऋण योजना-** एनएसटीएफडीसी 10 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया करता है। इस योजना के अधीन परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष धनराशि को सब्सिडी / प्रमोटरों के अंशदान / सीमांत धनराशि से पूरा किया जाता है।

**आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई) :**

यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आरंभ की गई एक विशिष्ट योजना है। इस योजना के अधीन एनएसटीएफडीसी 50,000 रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत ऋण मुहैया करता है। इस योजना के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के काफी रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

**सूक्ष्म ऋण योजना** : अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटे ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्व-सहायता समूहों हेतु यह एक विशिष्ट योजना है। इस योजना के अधीन यह निगम प्रति सदस्य 35000 रुपये और प्रति स्व-सहायता समूह 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

**स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु योजना :** स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु यह भी एक विशिष्ट योजना है और प्रत्येक स्व-सहायता समूह के 25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एनएसटीएफडीसी परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मुहैया करता है, बशर्तेकि प्रति सदस्य ऋण 50,000 रुपये से अधिक न हो। प्रमोटरों का न्यूनतम अंशदान परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत होता है।

**ट्राइफेड में सूचीबद्ध शिल्पियों को सहायता :**

इस योजना का उद्देश्य ट्राइफेड में सूचीबद्ध जनजातीय शिल्पियों के लिए परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियां खरीदने और कार्यचालन पूंजी के लिए रियायती वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के अधीन अलग-अलग व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक और प्रत्येक एसएचजी / सहकारी समिति को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहातया मुहैया की जाती है।

**शिक्षा ऋण योजना :**

एनएसटीएफडीसी पात्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रियायती ऋण मुहैया करता है, जिनमें अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा भारत में पीएचडी करना भी शामिल है। इस योजना के अधीन एनएसटीएफडीसी 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मुहैया करता है परंतु एक परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस सहायता के लिए ब्याज की दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

### ख. विपणन समर्थन सहायता :

यह निगम लघु वन उपज (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद और विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

**एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए उधार के संक्षिप्त मानदंड इस प्रकार हैं-**

| क्रम सं. | सहायता का प्रकार | यूनिट लागत की सीमा | एनएसटीएफडीसी के शेयर की सीमा | प्रतिवर्ष देय ब्याज | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एससीए द्वारा | लाभार्थियों द्वारा |
| 1. | मियादी ऋण योजना | 10.00 लाख रुपये | यूनिट की लागत का 90 प्रतिशत | 3 प्रतिशत | 6 प्रतिशत<br>(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये तक ) |
| | | | | 5 प्रतिशत | 8 प्रतिशत<br>(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये से अधिक ) |
| 2. | आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसबाई) | 50,000 रुपये | यूनिट की लागत का 90 प्रतिशत | 2 प्रतिशत | 4 प्रतिशत |
| 3. | सूक्ष्म ऋण योजना | 35,000 रुपये प्रति सदस्य और 5 लाख रुपये प्रति एसएचजी | 100 प्रतिशत | 3 प्रतिशत | 6 प्रतिशत<br>(एसएचजी द्वारा देय) |
| 4. | स्व-सहायता समूह(एसएचजी) हेतु योजना | 25 लाख रुपये | यूनिट की लागत का 90 प्रतिशत | मियादी ऋण योजना पर लागू ब्याज दरों के अनुसार | |
| 5. | ट्राइफेड में सूचीबद्ध शिल्पियों के लिए विशेष योजना | 50,000 रुपये | यूनिट की लागत का 90 प्रतिशत | एएमएसबाई के अधीन 2 प्रतिशत और अन्य योजनाओं के अधीन 3 प्रतिशत | एएमएसबाई के अधीन 4 प्रतिशत और अन्य योजनाओं के अधीन 6 प्रतिशत |
| 6. | शिक्षा ऋण योजना | 5 लाख रुपये | 90 प्रतिशत | 3 प्रतिशत | 6प्र |

**ग. एनएसटीएफडीसी द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना :**

**कौशल और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हेतु :** स्वरोजगार / रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के डेटा बेस के कंप्यूटरीकरण हेतु** : एनएसटीएफडीसी, एससीए के डेटावेस के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रति एससीए 2.00 लाख रुपये तक अनुदान के रूप में एकबार सहायता भी प्रदान करता है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए एनएसटीएफडीसी की संबंधित चैनेलाइजिंग एजेंसियों / एनएसटीएफडीसी के के आंचलिक कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। उनकी सूची www.nstfdc.nic.in पर उपलब्ध है।

## मैनुअल सं. 5

## कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल एवं अभिलेख
**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) (v))**

(क) कंपनी विभिन्न अधिनियमों अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 आयकर अधिनियम, सेवा कर अधिनियम आदि के अधीन नियंत्रित है ।

(ख) वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंड वेबसाइट (www.nstfdc.gov.in) में तथा मैनुअल सं. 4 में भी दिए गए हैं ।

(ग) कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम और विनियम इस प्रकार हैं ः

1. एनएसटीएफडीसी भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता नियम
2. एनएसटीएफडीसी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम
3. एनएसटीएफडीसी छुट्टी नियम, एनएसटीएफडीसी छुट्टी नकदीकरण नियम
4. एनएसटीएफडीसी चिकित्सा सहवर्ती नियम तथा स्वास्थ्य जांच नियम
5. एनएसटीएफडीसी यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नियम
6. एनएसटीएफडीसी छुट्टी यात्रा रियायत नियम
7. एनएसटीएफडीसी गृह निर्माण अग्रिम नियम
8. एनएसटीएफडीसी वाहन अग्रिम नियम
9. एनएसटीएफडीसी कंप्यूटर अग्रिम नियम
10. एनएसटीएफडीसी कंपनी पट्टा आवास नियम

**(घ) अपने कार्यों का निर्वहन करने संबंधी अभिलेख:**

**ब्यौरा मैनुअल सं. 6 में उपलब्ध है ।**

## मैनुअल सं. 6

### उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा रखी गई हैं अथवा इसके नियंत्रणाधीन हैं

**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) (vi) )**

संगठन में रखे जा रहे दस्तावेजों का सारांश निम्नलिखित है:-

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **वित्त संबंधी :** | कंपनी की खाता बहियाँ तथा संबंधित दस्तावेज विभिन्न अधिनियमों अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 तथा आयकर अधिनियम के अनुसार रखे गए हैं । |
| **2.** | **परियोजना संबंधी :** | फाइलें जिनमें विभिन्न चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव, मंजूरियाँ, वितरण तथा निधि उपयोग, लंबित प्रस्ताव, जैसा भी मामला हो, हैं । |
| **3.** | **सचिवालय संबंधी :** | अभिलेखों/ दस्तावेजों को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार रखा जाता है और बनाए रखा जाता है । |
| **4.** | **कार्मिक एवं सतर्कता संबंधी:** | (क) कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा अभिलेख ।<br>(ख) अपने कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम और विनियम । |
| **5.** | **प्रशासन एवं राजभाषा संबंधी :** | (क) प्रशासनिक मामले ।<br>(ख) राजभाषा अधिनियम । |

## मैनुअल संख्या 7

### ऐसी व्यवस्था का ब्यौरा , जो कंपनी की नीति या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए विद्यमान है

**[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) (vii)]**

(क) एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्यों का प्रावधान है।

(ख) निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति है। तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नियम और विनियम बनाए जाते हैं तथा कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जाते हैं। निदेशक मंडल की शक्तियों का विवरण कंपनी के संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में दिया गया है। ये विवरण **वेबसाइट : www.nstfdc.nic.in** में उपलब्ध हैं।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्यों का प्रावधान किए जाने और संसदीय समितियों द्वारा कंपनी की भूमिका, कार्यों और कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा किए जाने के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विद्यमान है।

# मैनुअल संख्या 8

## गठित किए गए बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) (viii)]

### (I) एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल का संघटन

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : 1
2. अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य : 3
3. राज्य अनुसूचित जनजाति निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति (बारी-बारी से) : 1
4. नाबार्ड का प्रतिनिधि : 1
5. आईडीबीआई का प्रतिनिधि : 1
6. प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड : 1
7. संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय : 1
8. वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय : 1

निदेशक मंडल का निर्णय, कर्मचारियों आदि के कार्यों के निर्वहन तथा सेवाओं के विनियमन के प्रयोजन के लिए नियमों और विनियमों का रूप ले लेता है। **ऐसे नियमों / मानदंडों से संबंधित सूचना जनता के लिए उपलब्ध है।**

### (II) समितियां:

आवश्यकता के आधार पर अंतर-विभागीय समितियों का गठन किया जाता है, जिनमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। इस समय इस संगठन में निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन किया गया है :

**निदेशकों की समिति :**

**(क) पारिश्रमिक समिति :**

सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समित का गठन करना होता है, जिसके अध्यक्ष एक स्वतंत्र

निदेशक होंगे। निगम के निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं और अन्य स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं।

**(ख)परियोजना अनापत्ति समिति (पीसीसी) :**

पीसीसी का गठन, एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान मुहैया करने के लिए विभिन्न चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और उनके संबंध में सिफारिशें करने के प्रयोजन से किया जाता है।

**(ग) निधि प्रबंधन समिति :**

इस समिति का गठन, निगम में उपलब्ध निधियों के निवेश पर अनुकूलतम प्राप्ति के प्रयोजन से किया जाता है।

**(घ) उपदान न्यास (ग्रेट्युइटि ट्रस्ट) :**

इस न्यास का कार्य, निगम में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को देय उपदान (ग्रेट्युइटि) से संबंधित मामलों का संचालन करना है।

# मैनुअल सं. 9

## इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
## (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(ix)

| क्र.सं. | नाम एवं पदनाम | स्थान | दूरभाष नं. (कार्यालय) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री जी. रमेश कुमार<br>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712519 |
| 2. | श्री पी.उन्नीकृष्णन<br>महा प्रबं.(वित्त एवं कंपनी सचिव ) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712562 |
| 3. | श्री अनिल पी.सी.रेवन<br>उप महा प्रबंधक/प्रमुख(परि.,सीएसआर,प्रशासन तथा कार्मिक एवं सतर्कता) /केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712539 |
| 4. | श्री एम.के.ब्रह्मा<br>सहायक महा प्रबन्धक (परि.रा.भा. एवं का.एवं सत.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177042 |
| 5. | श्री आर.जे.कच्छप, सहायक महा प्रबन्धक (परि.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177046 |
| 6. | श्री एस.एन.गलगोटिया,<br>मुख्य प्रबंधक (परि. एवं एमआईएस) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26180980 |
| 7. | श्री एफ. तिर्की, मुख्य प्रबन्धक (परि.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177042 |
| 8. | श्रीमती प्रोमिला ठाकुर, मुख्य प्रबधक(रा.भा. एवं परि.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177044 |
| 9. | श्री अतर सिंह, मुख्य प्रबंधक(प्रशासन) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177044 |
| 10. | श्री वी.जी.गुटके, मुख्य आं.प्रबंधक | आ.का.भोपाल | 0755-2660456 |
| 11. | श्री कुंज बिहारी, उप कंपनी सचिव (सम.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177052 |
| 12. | श्री एस.आर.मीणा, प्रबन्धक (वित्त) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177057 |
| 13. | श्रीमती मधु.डी.शाहनी,प्रबन्धक (वित्त) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177052 |
| 14. | श्री रविकांत तलतिया, प्रबंधक(वित्त) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177057 |
| 15. | श्रीमती लता बब्बर, महा प्रबंधक(वि.) एवं कंपनी सचिव की सचिव | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712562 |
| 16. | श्रीमती बिस्मिता दास,सहायक प्रबंधक (परि.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712572 |
| 17. | श्री प्रदीप कुमार सिंह,सहायक प्रबंधक (का.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26180976 |
| 18. | डॉ. कृष्णावेनी मोथा, सहायक आ. प्रबंधक | आंच.का. हैदराबाद | 040-23396088 |
| 19. | श्री सुनील कुमार साहू, सहायक आं. प्रबंधक | आंच.का. भुवनेश्वर | 0674-2342132 |
| 20. | डॉ. श्रीमती ज्योति सिंघल,<br>सहायक प्रबंधक (एमआईएस एवं परि.) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712587 |
| 21. | श्रीमती मोनिका,सहायक प्रबंधक(प्रशासन) | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26177062 |
| 22. | श्री अनिल बत्रा,निजी सचिव | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712539 |
| 23. | श्रीमती रीटा एहलावत,सहायक निजी सचिव | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712583 |
| 24. | श्री विजय सिंह, कनिष्ठ कार्यपालक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 25. | श्री रतन सिंह,कनिष्ठ कार्यपालक | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26180976 |
| 26. | श्रीमती किरण पुश्करणा,वरि. निजी सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 27. | श्री के.पी.शर्मा, वरि. निजी सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | 26712519 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | श्रीमती पूनम सिंह, वरि. निजी सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 29. | श्रीमती ममता राजन, वरि. सहायक एवं अनु. | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 30. | श्रीमती कुरा वर्रा लक्ष्मी, वरि.सहायक | आ.का.हैदराबाद | |
| 31. | श्री संदीप सेठी,वरि.लेखाकार | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 32. | सुश्री रेखा, निजी सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 33. | श्री राज कुमार, सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 34. | श्रीमती बिमला कन्नौजिया , सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 35. | श्री अतुल कुमार खरे, सहायक | आ.का.भोपाल | |
| 36. | श्रीमती अंजू सिंह, लेखाकार | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 37. | श्री अविनाश पारिख, सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 38. | श्री बलराज सिंह, वरिष्ठ ड्राईवर | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 39. | श्री निशाकर साहू, कनिष्ठ अन्वेषक | आ.का.भुवनेश्वर | |
| 40. | श्रीमती नीवा वोरो, कनिष्ठ अन्वेषक | आ.का.गुवाहाटी | |
| 41. | श्री लक्ष्मण सिंह,कनिष्ठ सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 42. | श्री एस.डी.अंसारी, कनिष्ठ सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 43. | श्रीमती शालू अरोडा, कनिष्ठ सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 44. | श्री रेमित आर्याकंडी, कनिष्ठ सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 45. | श्री ऋषि जैन,कनिष्ठ लेखाकार | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 46. | श्रीमती इन्द्रा,कनिष्ठ सहायक | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 47. | श्री रविन्द्र मांझी,संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 48. | श्री दिलीप, सदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 49. | श्री बहादुर प्रसाद, संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | आ.का.भोपाल | |
| 50. | श्री देवेन्द्र कुमार, संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 51. | श्री संतोष मांझी, संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 52. | श्री जगरूप सिंह, संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | मुख्यालय,नई दिल्ली | |
| 53. | श्रीमती मंजू लता, संदेशवाहक सह क्लीनर | मुख्यालय,नई दिल्ली | |

# मैनुअल सं. 10

अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक एवं प्रतिपूर्ति की पद्धति

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धार 4(1)(ख)(x)

---

निगम के नियमों के अंतर्गत लागू कुल पारिश्रमिक में मूल वेतनउमहंगाई भत्ताउविभिन्न अनुलब्धियाँ तथा लाभ शामिल हैं । कार्यालय समय के बाद या अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए प्रतिपूर्ति दैनिक भत्ते/समयोपरि भत्ते के रूप में की जाती ह की स्थिति के अनुसार वेतनमान तथा वास्तविक स्टाफ संख्या नीचे दी गई है:-

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री जी. रमेश कुमार | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 2. | श्री पी.उन्नीकृष्णन | महा प्रबं.(वित्त) एवं कंपनी सचिव ) | 43200-66000 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 3. | श्री अनिल पी.सी.रेवन | उप महा प्रबंधक/ प्रमुख (परि., सीएसआर, प्रशासन तथा कार्मिक एवं सतर्कता) /केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी | 36600-62000 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 4. | श्री एम.के.ब्रह्मा | सहा.महा प्रबन्धक (परि. एवं रा.भा.) | 32900-58000 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 5. | श्री आर.जे.कच्छप | सहा.महा प्रबन्धक (परि.) | 32900-58000 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 6. | श्री एस.एन.गलगोटिया | मुख्य प्रबंधक (परि.,प्रशा. एवं एमआईएस) | 29100-54500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 7. | श्री एफ. तिर्की | मुख्य प्रबन्धक (परि.) | 29100-54500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 8. | श्रीमती प्रोमिला ठाकुर | मुख्य प्रबधक(रा.भा. एवं परि.) | 29100-54500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 9. | श्री अतर सिंह, | मुख्य प्रबंधक(प्रशासन) | 29100-54500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 10. | श्री वी.जी.गुटके | मुख्य आं.प्रबंधक | 29100-54500 रु. | आ.का.भोपाल |
| 11. | श्री कुंज बिहारी | उप कंपनी सचिव | 24900-50500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 12. | श्री एस.आर.मीणा | प्रबन्धक (वित्त) | 24900-50500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 13. | श्रीमती मधु.डी.शाहनी | ,प्रबन्धक (वित्त) | 24900-50500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 14. | श्री रविकांत तेलतिया | प्रबंधक(वित्त) | 24900-50500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 15. | श्रीमती लता बब्बर | महा प्रबंधक(वि.) एवं कंपनी सचिव की सचिव | 20600-46500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 16. | सुश्री बिस्मिता दास | सहायक प्रबंधक (परि.) | 16400-40500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 17. | श्री प्रदीप कुमार सिंह | सहायक प्रबंधक (का.) | 16400-40500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 18. | डॉ. कृष्णावेनी मोथा | सहायक आ. प्रबंधक | 16400-40500 रु. | आंच.का. हैदराबाद |
| 19. | श्री सुनील कुमार साहू | सहायक आं. प्रबंधक | 16400-40500 रु. | आंच.का. भुवनेश्वर |
| 20. | डॉ. श्रीमती ज्योति सिंघल | सहा.प्रबंधक (एमआईएस एवं परि.) | 16400-40500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 21. | श्रीमती मोनिका | सहायक प्रबंधक(प्रशासन) | 16400-40500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 22. | श्री अनिल बत्रा | निजी सचिव | 16400-40500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 23. | श्रीमती रीटा एहलावत | सहायक निजी सचिव | 12600-32500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 24. | श्री विजय सिंह | कनिष्ठ कार्यपालक | 12600-32500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 25. | श्री रतन सिंह | कनिष्ठ कार्यपालक | 12600-32500 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 26. | श्रीमती किरण पुश्करणा | वरि. निजी सहायक | 11000-27800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 27. | श्री के.पी.शर्मा | वरि. निजी सहायक | 11000-27800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 28. | श्रीमती पूनम सिंह | वरि. निजी सहायक | 11000-27800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 29. | श्रीमती ममता राजन | वरि. सहायक एवं अनु. | 11000-27800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 30. | श्रीमती कुरा वर्रा लक्ष्मी | वरि.सहायक | 11000-27800 रु. | आ.का.हैदराबाद |
| 31. | श्री संदीप सेठी | वरि.लेखाकार | 11000-27800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 32. | सुश्री रेखा | निजी सहायक | 10200-25800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 33. | श्री राज कुमार | सहायक | 10200-25800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 34. | श्रीमती बिमला कन्नौजिया | सहायक | 10200-25800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 35. | श्री अतुल कुमार खरे | सहायक | 10200-25800 रु. | आ.का.भोपाल |
| 36. | श्रीमती अंजू सिंह | लेखाकार | 10200-25800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | श्री अविनाश पारिख | सहायक | 10200-25800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 38. | श्री बलराज सिंह, | वरिष्ठ ड्राईवर | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 39. | श्री निशाकर साहू | कनिष्ठ अन्वेषक | 9600-24300 रु. | आ.का.भुवनेश्वर |
| 40. | श्रीमती नीवा वोरो | कनिष्ठ अन्वेषक | 9600-24300 रु. | आ.का.गुवाहाटी |
| 41. | श्री लक्ष्मण सिंह, | कनिष्ठ सहायक | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 42. | श्री एस.डी.अंसारी | कनिष्ठ सहायक | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 43. | श्रीमती शालू अरोड़ा | कनिष्ठ सहायक | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 44. | श्री रेमित आर्याकंडी | कनिष्ठ सहायक | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 45. | श्री ऋषि जैन | कनिष्ठ लेखाकार | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 46. | श्रीमती इन्द्रा | कनिष्ठ सहायक | 9600-24300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 47. | श्री रविन्द्र मांझी | संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 48. | श्री दिलीप | सदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 49. | श्री बहादुर प्रसाद | संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | आ.का.भोपाल |
| 50. | श्री देवेन्द्र कुमार | संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 51. | श्री संतोष मांझी | संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 52. | श्री जगरूप सिंह, | संदेशवाहक सह क्लीनर(एजी) | 8400-21300 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |
| 53. | श्रीमती मंजू लता | संदेशवाहक सह क्लीनर | 7800-19800 रु. | मुख्यालय,नई दिल्ली |

# मैनुअल संख्या 11

## प्रत्येक एजेंसी को मंजूरी के लिए बजट का आवंटन तथा निधियों का संवितरण
## [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) (xi)]

**वर्ष 2013-14 के लिए बजट संबंधी प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है-**

| क्रम संख्या | बजट शीर्ष / रकम | प्रयोजन |
|---|---|---|
| 1. | **(क) स्वीकृत बजट**<br>**180.00 करोड़ रुपये**<br>**(ख) संवितरण :**<br>**122.00 करोड़ रुपये** | (I) मंत्रालयों / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण मुहैया करने के लिए एनएसटीएफडीसी के अंश के रूप में ।<br>(II) मानदंड :<br>प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की संख्या (नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) के अनुपात में निधियां कल्पना के आधार पर आबंटित की जाती हैं। इसकी सूचना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दी जाती है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निधि के प्रवाह को इस प्रकार सुनिश्चित करेंगी कि विभिन्न जिलों / क्षेत्रों, सेक्टरों और पुरुषों / स्त्रियों में उचित संतुलन बना रहे । यह संवितरण एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है |
| 2.<br>◌<br>**क**<br>**एस** | **विकासात्मक व्यय:**<br>**(क)** अनुसूचित जनजाति के लाभार्भियों हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिए सीएसआर धनराशि 20.00 लाख रुपए है ।<br>**(ख)सीए के डेटा बेस** के कंप्यूटरीकरण और सॉफ्टवेयर संपर्क व्यय के लिए अनुदान : 6.00 लाख रुपये<br>(ग) यूनिटों का मूल्यांकन / अन्य पक्षकार निरीक्षण के लिए परामर्शी प्रभार 5.00 लाख रुपये<br>(घ) जागरूकता | (क) एनएसटीएफडीसी, पात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुदान के रूप में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आवर्ती व्यय का 100 प्रतिशत प्रदान करता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निधियों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी।<br>(ख) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के डेटा बेस के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रति राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 2.00 लाख रुपये तक का अनुदान एकबार मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इस प्रावधान में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से संबंधित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास करना भी शामिल है।<br>(ग) एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के मूल्यांकन और / या एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त यूनिटों का अन्य पक्षकार प्रतिष्ठित संगठन के माध्यम से निरीक्षण हेतु।<br>(घ) निचले स्तर पर एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों के |

|  |  |  |
|---|---|---|
|  | व्यय ब्याज पर छूट/<br>यात्रा व्यय हेतु<br>62.00 लाख रुपये | बारे में जागरूकता पैदा करने और एससीए को समय पर वापसी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु । |
| 03. | पूंजीगत व्यय – बजट<br>2013-14<br>30.00 लाख रुपये | यह बजट प्रावधान कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर, कार्यालय परिसरों का नवीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए किया गया है। |

**एनएसटीएफडीसी की प्रत्येक चैनेलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को आबंटित निधियों तथा 2015-16 की स्थिति के अनुसार वास्तविक आँकड़ों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-** (लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम | वास्तविक मंजूरियां | | | अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | वितरण | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | संवितरण |
| 1. | आंध्रप्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि.,**आंध्र प्रदेश** | 1130.00 | 4004.43 | 3313.14 | 11.30 | | |
| 2. | अंडमान व निकोबार राज्य सहकारी बैंक लि0, **अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह** | 50.00 | | | 0.50 | | |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरुणाचल प्रदेश** | 180.00 | | | 1. 80 | | |
| 4. | एनसीडीसी-**अरूणाचल प्रदेश** | | 3556.70 | 1863.60 | | | |
| 5. | आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.,**आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| 6. | असम प्लेन जनजाति विकास निगम, **असम** | 740.00 | | | 7.40 | | |
| 7. | राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर **असम** | | | | | 1.56 | |
| 8. | बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि0, **बिहार** | 255.00 | | | 2.55 | | |
| 9. | छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यवसाई सहकारी वित्त विकास निगम लि0, **छत्तीसगढ** | 1490.00 | 1431.18 | 933.53 | 14.90 | | |
| 10. | दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, **दादरा नगर हवेली** | 50.00 | | | 0.50 | | |

**(लाख रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम | वास्तविक मंजूरियां | | | अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **नोशनल आबंटन** | **एनएसटीएफडीसी का अंश** | **वितरण** | **नोशनल आबंटन** | **एनएसटीएफडीसी का अंश** | **संवितरण** |
| 11. | गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, **गोवा** | 50.00 | | | 0.50 | | |
| 12. | गुजरात जनजातीय विकास निगम, **गुजरात** | 1700.00 | 4139.83 | 2100.00 | 17.00 | | |
| 13. | एनसीडीसी- **गुजरात** | | 76.84 | 26.34 | | | |
| 14. | हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश | 75.00 | | 11.32 | 7.50 | | |
| 15. | एनसीडीसी-**हिमाचल प्रद्रेश** | | | | | | |
| 16. | जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम, **जम्मू व कश्मीर** | 285.00 | 604.50 | 271.00 | 2.85 | | |
| 17. | झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लि0, **झारखंड** | 1650.00 | 414.00 | 198.12 | 16.50 | | |
| 18. | एनसीडीसी- **झारखंड** | | | | | | |
| 19. | कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक** | 810.00 | | | 8.10 | | |
| 20. | केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, केरल | 50.00 | 67.50 | 83.92 | 0.50 | | |
| 21. | केरल राज्य महिला विकास निगम लि0, **केरल** | 50.00 | | | 0.50 | | |
| 22. | लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप** | 50.00 | | | 0.50 | | |
| 23. | मणिपुर जनजातीय विकास निगम लि0, **मणिपुर** | 170.00 | | | 1.70 | | |

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम | वास्तविक मंजूरियां | | | अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | वितरण | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | संवितरण |
| 24. | शबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र** | 2000.00 | 2050.95 | | 20.00 | | |
| 25. | मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय** | 485.00 | 199.80 | 239.17 | 4.85 | | |
| 26. | म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश** | 2920.00 | | | 29.20 | | |
| 27. | एनसीडीसी- **मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| 28. | एनसीडीसी- **मणिपुर** | | | | | | |
| 29. | मिजोरम खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, **मिजोरम** | 100.00 | | | 1.00 | | |
| 30. | मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लि0, **मिजोरम** | 100.00 | | | 1.00 | | |
| 31. | एनसीडीसी- **मिजोरम** | | 3428.80 | 984.72 | | | |
| 32. | नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लि0, **नागालैंड** | 163.00 | 433.37 | 563.81 | 1.63 | | |
| 33. | नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लि0, नागालैंड | 162.00 | | | 1.62 | | |
| 34. | एनसीडीसी- **नागालैंड** | | | | | | |
| 35. | उड़ीसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लि0, **उड़ीसा** | 1825.00 | 1.92 | | 18.25 | | |
| 36. | राजस्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, **राजस्थान** | 1760.00 | 1334.42 | 321.63 | 17.60 | | |

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम | वास्तविक मंजूरियां | | | अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | वितरण | नोशनल आबंटन | एनएसटीएफडीसी का अंश | वितरण |
| 37. | सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि0, **सिक्किम** | **50.00** | | | 0.50 | | |
| 38. | तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास एवं विकास निगम लि0, **तमिलनाडु** | 150.00 | | | 1.50 | | |
| 39. | टीएलजी-**तेलांगना** | | | 5000.00 | | | |
| 40. | त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लि0, **त्रिपुरा** | 220.00 | | 73.24 | 2.20 | | |
| 41. | उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल** | 55.00 | 3.40 | 25.30 | 0.55 | | |
| 42. | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश** | 215.00 | | | 2.15 | | |
| 43. | एनसीडीसी-**उत्तर प्रदेश** | | | | | | |
| 44. | पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल** | 505.00 | | | 5.05 | | |
| 45. | पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम **पश्चिम बंगाल** | 505.00 | 561.24 | 540.87 | 5.05 | 33.00 | |
| 46. | एनसीडीसी-**पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| 47. | ट्राईफेड-**डीएलएच-नई दिल्ली** | | | | | | |
| | कुलः(क) | **20000.00** | **22308.88** | **16549.71** | **200.00** | **34.56** | **0.00** |

| **ख)** | **पीएसयू बैंकों/आरआरबी के माध्यम से लघु ऋण योजना** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | असम ग्रामीण विकास बैंक<br>**असम** | | | **10.00** | **10.00** | | |
| 2. | लेंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक **असम** | | | | | | |
| 3. | देना गुजरात ग्रामीण बैंक<br>**गुजरात** | | | | **11.50** | | |
| 4. | बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक<br>**गुजरात** | | | | | | |
| 5. | वनांचल ग्रामीण बैंक<br>**झारखंड** | | | **6.38** | **6.38** | | |
| 6. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,<br>**मध्य प्रदेश** | | | **643.66** | **379.34** | | |
| 7. | केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक<br>**मध्य प्रदेश** | | | **44.16** | **308.48** | | |
| 8. | यूबीआई<br>**महाराष्ट्र** | | | | | | |
| 9. | मेघालय ग्रामीण बैंक<br>**मेघालय** | | | **72.58** | **72.58** | | |
| 10. | मिजोरम ग्रामीण बैंक<br>**मिजोरम** | | | | | | |
| 11. | वैतरणी ग्राम्य बैंक<br>**ओडिशा** | | | | | | |
| 12. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,<br>**ओडिशा** | | | **8.51** | **8.51** | | |
| 13. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,<br>**राजस्थान** | | | | | | |
| 14. | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक<br>**त्रिपुरा** | | | | | | |
| 15. | उत्तराखंड ग्रामीण बैंक,<br>**उत्तराखंड** | | | **285.42** | **313.50** | | |
| | **कुल (बी)** | | **1070.71** | **1110.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कुल योग (ए + बी)** | **20000.00** | **23379.59** | **17660.00** | **200.00** | **34.56** | **0.00** |

**नोट: संवितरण के आंकड़े पिछले वर्षों में स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बनाई गई विज्ञप्ति में शामिल हैं।**

## मैनुअल सं. 12

### आबंटित धनराशि सहित आर्थिक सहायता (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा

**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(xii))**

**एनएसटीएफडीसी के संबंध में लागू नहीं ।**

# मैनुअल सं. 13

इसके द्वारा प्रदान की गई रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के
प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(xiii))

**एनएसटीएफडीसी के संबंध में लागू नहीं ।**

# मैनुअल सं. 14

## इसके द्वारा उपलब्ध या धारित इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित सूचना के संबंध में ब्यौरा

**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(xiv)**

इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित इसके द्वारा उपलब्ध या धारित सूचना से संबंधित ब्यौरा संगठन, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तथा ऋण एवं विकास नीति के बारे में है, जो वेबसाइट www.nstfdc.gov.in पर उपलब्ध है ।

# मैनुअल सं. 15

सार्वजनिक प्रयोग के लिए पुस्तकालय और वाचनालय के कार्य-समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा ।

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) (xv)

1. इलेक्ट्रानिक रूप में : वेबसाइट (www.nstfdc.gov.in)

2. फोन पर/डाक द्वारा : अधिसूचित केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी से
(सूची मैनुअल सं. 16 पर)

3. पुस्तकालय/वाचनालय : एनबीसीसी टॉवर, 5 वाँ तल, हाल नं. 1,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 में
एनएसटीएफडीसी के मुख्यालय में

प्रत्येक बुधवार को अपराह्न
3.00 बजे से 5.00 बजे तक

# मैनुअल सं. 16

एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी काम प्लेस, 5 वां तल, नई दिल्ली-66 स्थित एनएसटीएफडीसी मुख्यालय में अपीलीय प्राधिकारी तथा जन-सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य ब्यौरे

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(xvi)

| (।) | **अपीलीय प्राधिकारी** | |
|---|---|---|
| | | **श्री पी.उन्नीकृष्णन**<br>महा प्रबं.(वित्त एवं कंपनी सचिव )<br>15,एनबीसीसी टॉवर, 5 वाँ तल,<br>भीकाजी कामा प्लेस,<br>नई दिल्ली-110066<br>दूरभाष: 011-26712562(कार्यालय)<br>फैक्स : 011-26712574 |

| (।।) | केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी |
|---|---|
| | **श्री अनिल पी.सी.रेवन**<br>उप महा प्रबंधक/प्रमुख (परियोजना,सीएसआर,प्रशासन तथा कार्मिक एवं सतर्कता ) /केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी<br>15,एनबीसीसी टॉवर, 5 वाँ तल ,<br>भीकाजी कामा प्लेस,<br>नई दिल्ली-110066<br>दूरभाष: 011-26712539 (कार्यालय)<br>फैक्स : 011-26712574 |

# मैनुअल सं. 17

## सूचना का अधिकार नियमावली 2005 (शुल्क एवं लागत का विनियम)

कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सूचना लेने का इच्छुक हो तो भुगतान करके एवं अपना लिखित में अनुरोध केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को संबोधित (संदर्भ-मैनुअल-16) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी), 15 एनबीसीसी टॉवर, 5 वां तल, भीकाजी काम प्लेस, हॉल नं.-1, नई दिल्ली-110066 को भेजा जा सकता है ।

शुल्क / लागत दर

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | आवेदन शुल्क | : | 10/ - रुपए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ख) | ए-3/ए-4 साइज पेपर<br>(वास्तविक या प्रतिलिपि) | : | 02/ - रुपए प्रति पेज |
| (ग) | बड़े आकार के पेपर पर प्रतिलिपि | : | वास्तविक प्रभार या लागत |
| (घ) | सेम्पल या मॉडल | : | वास्तविक लागत |
| (ड.) | फ्लॉपी / डिस्क में सूचना | : | 50/- रुपए प्रति फ्लॉपी/ डिस्क |
| (च) | मुद्रित सामग्री | : | मुद्रण लागत या प्रकाशन से सार हेतु फोटोकॉपी के लिए 02/ - रुपए प्रति पेज की दर से |
| (छ) | रिकार्ड का निरीक्षण | : | पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, एवं उसके बाद के घंटे (अथवा उसके अंश के लिए) के लिए 2/-रुपए प्रति घंटाशुल्क । |

सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क एनएसटीएफडीसी, एनबीसीसी टावर,नई दिल्ली के वित्त विभाग में नकद रूप में जमा किया जा सकता है जिसकी रसीद दी जाती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक **एनएसटीएफडीसी,नई दिल्ली** के नाम से दिया जा सकता है ।

**टिप्पणी: वितरण संबंधी आंकड़ों में गत वर्षों में स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के लिए की गई निर्मुक्तियाँ शामिल हैं ।**

## वार्षिक विवरणी-प्रपत्र

## सूचना का अधिकार अधिनियम वार्षिक विवरणी सूचना प्रणाली (2015-16)

**संगठन / जन प्राधिकारी का नाम : नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)**

**वर्ष : 2015-16 (31 मार्च, 2016 तक)**

| | | | वर्ष 2015-16 में प्रगति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिनांक 1.04.2015 को आरंभिक शेष मामले | धारा 6(3) के अधीन अन्य जन प्राधिकारियों से अंतरण के रूप में प्राप्त आवेदन -पत्रों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र (जिनमें अन्य जनप्राधिकारियों से अंतरित मामले भी शामिल हैं) | अन्य जन प्राधिकारियों को अंतरित मामलों की संख्या | निर्णय, जिनमें अनुरोध /अपील स्वीकार नहीं की गई | निर्णय, जिनमें अनुरोध /अपील स्वीकार की गई |
| अनुरोध | शून्य | 8 | 17 | 5 | शून्य | 20 |
| पहली अपील | शून्य | लागू नहीं | 2 | लागू नहीं | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| उन मामलों की संख्या, जिनमें किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई | शून्य |

| नामित केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या | नामित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की संख्या | नामित अपीलीय प्राधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| शून्य | 01 | 01 |

| अनुरोधों को अस्वीकार करते समय कितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की संगत धाराएं | | | | | | | | | | | | | |
| धारा 8 (1) | | | | | | | | | | धाराएं | | | |
| क | ख | ग | घ | ड. | च | छ | ज | झ | ञ | 9 | 11 | 24 | अन्य |
| .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

| एकत्र प्रभारों की रकम (रुपयों में) | | |
|---|---|---|
| पंजीकरण शुल्क की रकम | एकत्र अतिरिक्त शुल्क | सीआईसी द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार वसूल की गई दंड की रकम |
| 170 रुपये | 2114 रुपये | शून्य |